

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

मिहल नम्बर - 8/2024

तारीख - रजु 09.01.2024

उनवान

1. केलारा पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह।

- प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील-टोडारायसिंह

- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 09.04.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 5286 रकबा 0.40 है, खसरा नं 5287 रकबा 0.85 है कुल किता- 2 कुल रकबा 1.25 है वाके ग्राम पंवालिया तह. टोडारायसिंह में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में मेड पडी हुई थी, जो वर्तमान में खुद-बुद हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आए दिन लड़ाई-झगडे होते रहते हैं। मौके पर कभी भी गभीर वारदात कर सकते हैं। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुश्तकील मुटाम कायम कर पत्थरगडी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगडी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पत्थरगडी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना-पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगडी हेतु न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना-पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं. 5286 रकबा 0.40 है, खसरा नं 5287 रकबा 0.85 है कुल किता- 2 कुल रकबा 1.25 है वाके ग्राम पंवालिया तह. टोडारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में गगवाई जाये।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। आराजी खसरा नं. 5286 रकबा 0.40 है, खसरा नं 5287 रकबा 0.85 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। ना ही कोई वाद विचाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2073-76 वाके ग्राम पंवालिया तह. टोडारायसिंह की खतौनी संख्या 96 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 5286 रकबा 0.40 खसरा नं 5287 रकबा 0.85 है पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है खातेदारान के कब्जेकाश्त की आराजी की पत्थरगडी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है व जिस आराजी पर उनका कब्जाकाश्त नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में उनकी खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। बिना कब्जेकाश्त की आराजी के संबंध में प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 5286 रकबा 0.40 है, खसरा नं 5287 रकबा 0.85 है वाके ग्राम पंवालिया तह. टोडारायसिंह में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगडी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, टोडारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सिंघराज)

उपखण्ड अधिकारी

टोडारायसिंह